

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

शीर्षक सत्यापन पत्र Title Verification Letter

सत्यापित दिनांक Verification Date : 16/10/2012

Title Code: MAHMUL03051

/13/1/2012-TC

डी.सी.पी. (एल)सी.एम.एम./डी.एम/कलेक्टर/एस.डी.एम

पश्चिमी खंड 8, स्कंध 2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली 66

/डी.डी.एम

DCP (L)/CMM/DM/Collector/SDM/DDM

West Block-8, Wing No.2, R.K.Puram, New Delhi-110066

जिला District: BEED

राज्य State: महाराष्ट्र MAHARASHTRA

विषय: समाचार पत्र शीर्षक Sub: Newspaper
Title

VIDYAWARTA

भाषा Language: अंग्रेजी हिन्दी मराठी ENGLISH HINDI MARATHI आवधिकता Periodicity: तिमाही QUARTERLY

के नाम अनुमोदित Approved in favour of Shri/Smt./Miss

GHOLAP BAPU GANPAT

से प्रकाशन हेतु Proposed to be published from

BEED

संदर्भ आपका पत्र/पृष्ठंकन सं Reference: Your Letter/Endorsement
No .

610 16/8/2012

महोदय Sir,

1. यह/ये शीर्षक प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1876 की धारा 6 के प्रावधान के अंतर्गत सत्यापित कर दिया गया है/दिए हैं। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, आप प्रकाशक /मुद्रक का घोषणा पत्र अधिप्रमाणित करने के उपरांत इसे/इन्हें आगे की कार्यवाई हेतु आर एन आई कार्यालय को भेज सकते हैं। This title/titles has/have been verified in terms of the Provision to Section 6 of the PRB Act 1867. You may, therefore, authenticate the declaration of the publisher / printer, as per Section 5 of the Act and forward it/them to this office for further action.

आपका ध्यान पी आर बी अधिनियम, 1867 की निम्न आवश्यकताओं की ओर आकर्षित किया जाता है - Your attention is invited to the following requirements of the PRB Act, 1867:

(क) जहां प्रकाशक एवं मुद्रक एक नहीं हैं वहां अलग-अलग घोषणापत्र अनिवार्य है। Where the publisher and printer are not the same, separate declarations shall be necessary.

(ख) जहां प्रकाशक या मुद्रक स्वामी नहीं हैं वहां घोषणापत्र के साथ, स्वामी की ओर से प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाए। Where the publisher or printer is not the owner, the declaration shall be accompanied by an authorization letter from the owner.

(ग) प्रकाशक से संबंधित घोषणा शून्य समझी जाएगी यदि समाचार पत्र का प्रकाशन - A Declaration made in respect of a publication shall be void if the newspaper does not commence publication:

(i) अधिप्रमाणन की तिथि से 42 दिन के भीतर, सप्ताह में एक बार या अधिक बार प्रकाशित किए जाने वाले समाचार पत्र के मामले में, शुरू नहीं किया जाता। Within 42 days from the date of authentication in the case of a newspaper to be published once a week or oftener.

(ii) 90 दिन के भीतर, अन्य पत्र प्रकाशन के मामले में, शुरू नहीं किया जाता। Within 90 days in case of any other publication.

2. शीर्षक 02 वर्ष के लिए मान्य है। यदि इस अवधि में पंजीयन नहीं करवाया गया शीर्षक स्वतः ही डी-ब्लॉक हो जाएगा तथा इसे इसे दूसरों के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। The title is valid for two years. As if Registration is not done within the period, the title will be deblocked automatically and will be made available to others.

3. सत्यापित शीर्षक को पंजीयन से पूर्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। The title verified is not transferable before registration.

4. प्रिंट में दर्शाया गया शीर्षक किसी भी विद्यमान शीर्षक जैसा न हो/से मेल न खाता हो। The title displayed in print should not resemble/imitate any existing title.

5. शीर्षक प्रकाशन के मुखशीर्षक पर एक समान फॉन्ट/अक्षर आकार में दर्शाया जाए। यदि कलात्मक आवश्यक डिजाइन या शीर्षक की लंबाई हेतु परिवर्तन आवश्यक हो तो फॉन्ट/अक्षर आकार में 25 से अधिक की कमी नहीं की जा सकती। शीर्षक समतल या लम्बवत् रूप में दर्शाया जाए। The title shall be displayed in uniform font/ letter size in masthead of the publication. If a variation is required for artistic design, or for the length of the title, the reduction of font/ letter size cannot be more than 25%. The title shall be displayed either horizontally or vertically.

Copy to (for information):

Yours faithfully,

**GHOLAP BAPU
GANPAT AT.POST
LIMBAGANESH TO , DIST
- BEED , M.S**



(Manoj)

Section Officer (Title Cell)

This letter is generated from the official website of RNI ie. <https://rni.nic.in>. In case of doubt, District Authorities may contact APR on Phone No.26175947 or through email: apr@rni.nic.in.